Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Offic 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता ...
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 07/2024

परिवादी

श्रीमती प्रीति म0का 1276,

निवासी–सी–14, टाईप नं0 1,

थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,(दक्षिण)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

देहरादून।

दिनांक : 22.04.2025

कोरम

श्री त्रिभुवन सिंह	न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 176/2024 श्रीमती प्रीति म0का0 1276 निवासी– सी–14, टाईप नं0 1, थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 18.06.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के अनुसार मंच द्वारा वाद संख्या 37/2023 में पारित निम्न आदेशा *"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को उनकी वास्तविक खपत की राशि रू0 5064.00 लिया जाना सुनिश्चित करें एवं शेष राशि अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विद्युत मापक का उपभोग किया गया है, इंचार्ज थाना क्लेमेनटाउन के द्वारा उनसे प्राप्त करे"* का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि दिनांक 07/02/2025 तक भी

अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 18.06.2024 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 27 दिनांकित 16.04.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार आवेदिका श्रीमती प्रीती से उनके द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर बिल की वसूली रू0 11638.00 मात्र जमा कर ली गई है एवं शेष बिल की धनराशि रू0 33397.00 को विभाग में जमा कराने हेतु थानाध्यक्ष, क्लेमेमन्टाउन, देहरादून को उखण्ड कार्यालय के पत्रांक–25 दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 18.06.2024 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 18.06.2024 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी की आख्या अनुसार रू0 11638.00 जमा करा दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/04/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/04/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

22.04.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 187 / 2024

श्री नत्थन राम पुत्र स्व0 श्री गोविन्द राम
निवासी– शिवपुरी कालोनी निकट सी0ओ0 आफिस
डाकपत्थर, विकासनगर।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 11.04.2025
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का विद्युत संयोजन संख्या VN14111041382, 2.00 KW का है। प्रार्थी का माह 07 / 2024 का बिल पूर्व के बिलों के सापेक्ष बहुत अधिक है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी के उक्त बिल को ठीक करवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 957, दिनांकित 01/03/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्री नत्थन राम, निवासी– शिवपुरी कॉलोनी, निकट–सी0ओ0 ऑफिस, डाकपत्थर, देहरादून का बीजक एम0आर0आई0 रीडिंग के आधार पर निर्गत किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एम0आर0आई0 का मंच द्वारा अवलोकन किया गया, एम0आर0आई0 के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 01.07.2024 तक कुल 8131.3 यूनिट की विद्युत खपत की गई है।

विपक्षी द्वारा एक माह में 2 किलोवाट स्वीकृत घरेलू संयोजन पर 30 दिनों की अवधि में 8131.3 यूनिट अर्थात् 271.04 यूनिट प्रतिदिन की खपत दर्शायी गई है जो कि मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। एम0आर0आई0 में उपरोक्त अवधि के बाद की अवधि मे भी परिवादी द्वारा 271 यूनिट प्रति दिन से काफी कम औसत से विद्युत खपत दर्शायी गई है। एम0आर0आई0 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी का मीटर 01.06.2024 से 01.07.2024 की अवधि के दौरान Creep किया जिस कारण विद्युत मापक में उक्त अवधि में अप्रत्याशित विद्युत खपत दर्ज की गई। इस अवधि के पश्चात् मीटर ठीक विद्युत का अंकन करने लगा है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट से हो रही है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 01.06.2024 से 01.07.2024 की अवधि की विद्युत खपत गणना हेतु , प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त करे, और उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल चक्रों (05/2024, 03/2024 एवं 01/2024) की औसत खपत क्रमशः (872+659+629/3=720 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना एवं 01.07.2024 से आगामी तिथियों के बिलों को उक्त विद्युत मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 01.06.2024 से 01.07.2024 की अवधि की विद्युत खपत गणना हेतु, प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त करे, और उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों (05/2024, 03/2024 एवं 01/2024) की औसत खपत क्रमशः (872+659+629/3=720 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना एवं 01.07.2024 आगामी तिथियों के बिलों को उक्त विद्युत मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 183945 को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में उक्त मापक के कारण पुनः इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27[redacted]395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 190/2024

Shri. Ravi Dutt V/s **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को उक्त खराब विद्युत मीटर को बदले हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के कम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या VN26120082112 पर स्थापित खराब मीटर संख्या 71839596, दिनांक 18.02.2025 बदल दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध सीलिंग प्रमाण से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 191/2024

Shri. Ramesh Kunwar V/s **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को श्री रमेश कुवर पुत्र श्री मेदिया करने के आदश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित खराब मीटर बदल दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 09/04
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 192/2024

Shri. Kamlesh Dutt for Shri. Bhawani Dutt V/s Executive Engineer, EDD, Vikasnagar

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या VN16112082210 का विद्युत भार 3 किलोवाट दर्शाया जा रहा है, जबकि उनका वर्तमान में इतना अधिक विद्युत लोड़ नहीं चलता है। अतः मंच से निवेदन है कि हमारे विद्युत लोड को नियामानुसार कम करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या VN16112082210 का विद्युत भार दिनांक 18.02.2025 को 03 कि0वा0 से 1 कि0वा0 कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 09/04/25
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 193/2024

Shri. Kamal Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके उनके परिसर ग्राम मैन्दरत के खेडा जमोली में वोल्टेज लो रहने के कारण उनके विद्युत उपकरण कार्य नही कर पा रहे है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को खेडा जमोली के ट्रासफार्मर की क्षमता बढाये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की लो–वोल्टेज संबंधी शिकायत के क्रम में प्राक्कलन स्वीकृत हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृती उपरान्त लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान हेतु प्राक्कलन बनाकर स्वीकृती हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी परिवादी की शिकायत के समाधान हेतु प्रयासरत है। अतः इस परिस्थिति में उक्त आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि प्राक्कलन स्वीकृत होते ही परिवादी से संबंधी परिवर्तक की क्षमता वृद्धि कर परिवादी की लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/2025

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 194/2024

Shri. Naresh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था, परन्तु उन्हें विद्युत संयोजन प्रदान नहीं किया गया ।अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उन्हे विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का 01 कि0वा0 का नया विद्युत संयोजन दिनांक 18.02.2025 को निर्गत कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 195/2024

Shri. Mehar Singh V/s **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके उनका विद्युत भार 02 किलोवाट चल रहा है, जबकि उनका विद्युत भार 01 किलोवाट ो दर्ज हो रह है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत भार कम करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN26322463617 का विद्युत भार दिनांक 23.12.2024 को 03 कि0वा0से 02 कि0वा0 कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा पुनः विद्युत भार 02 कि0वा0 से 01 कि0वा0 किये जाने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया, परन्तु एक वर्ष में एक ही बार उपभोक्ता का विद्युत भार कम किया जा सकता है, जिस कारण उपभोक्ता का विद्युत भार 02 कि0वा0 से 01 कि0वा0 नहीं किया गया ।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रांवली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से मंच सहमत है। अतः इसके फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 196/2024

Shri. Amit Khanna **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका विद्युत भार 03 किलोवाट चल रहा है, जबकि उनका विद्युत भार 01 किलोवाट ही दर्ज हो रह है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत भार कम करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN26323099906 का विद्युत भार दिनांक 24.02.2025 को 03 कि0वा0से 01 कि0वा0 कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 197/2024

Shri. Deewan Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा दिनांक 04.05.2001 से एक विद्युत संयोजन लिया गया था जिसे उनके द्वारा विच्छेदित करा दिया गया था। परिवादी उक्त संयोजन को पुनः चालू करना चाहते है। परिवादी का अनुरोध है कि यदि उक्त संयोजन पुनः लेने में कोई आपत्ति करता है तो उनके द्वारा संयोजन को विद्युत विभाग में जमा करा दिया जायेगा। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को पुनः विद्युत संयोजन जारी करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से मंच के संज्ञान में आया कि परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अतः परिवादी को विद्युत संयोजन हेतु सर्वप्रथम माननीय् विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के अनुसार आवेदन करना आवश्यक है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने को कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 198/2024

Shri. Ashok Tomar **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके अस्थाई विद्युत संयोजन की जमानत धनराशि वापिस नहीं की गई। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN69999999820 के स्थायी विच्छेदन क उपरान्त जमान्त धनराशि उपभोक्ता को वापिस कर दी गयी है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 199/2024

Shri. Rajender Singh Chauhan **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थि है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके अपने विद्युत संयोजन का लोड बढ़ाया गया.था, जिस कार मीटर बदला गया। मीटर बदले जाने के उपरान्त उनका विद्युत बिल रू0 74377.00 आ गया। अतः मंच से निवेदन है f विद्युत विभाग को उक्त विद्युत बिल संशोधित किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.202 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN17323099171 का माह जनवरी 2025 में त्रुटिवश गल रीडिंग फीड होने के कारण कुल रूपये 743477.00 बीजक प्रेषित किया गया, जिसको संशोधित कर कुल रूपये 7233.00 व बनाया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी व मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/2

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 200/2024

hri. Ravish Arrora for Harish Chand Arora V/s Executive Engineer, EDD, Vikasnagar

ORDER SHEET

Date- 11.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके विद्युत बिलो में बार–बार ASD जोड़ कर विद्युत बिल प्रेषित किये जाने रहे है, जिस कारण उनका विद्युत बिल ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को ASD जोड़ कर बिल प्रेषित न किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN66302022028 में मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नियामानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि की गणना की गयी है, जिसको उपभोक्ता के बीजकों में किस्तों में भुगतान हेतु जोड़ी गयी है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से मंच सहमत है। अतः इसके फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/04/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 201/2024

hri. Pratap Singh Chauhan V/s Executive Engineer, EDD, Vikasnagar

ORDER SHEET

Date- 11.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके ग्राम जाड़ी में लगभग 52 परिवार निवास करते है, वर्तमान मे उनके ग्राम में लो वोल्टेज की समस्या है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग हमारे ग्राम में लो वोल्टेज की समस्या के निवारण हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की लो–वोल्टेज संबंधी शिकायत के क्रम में प्राक्कलन स्वीकृत हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृती उपरान्त लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान हेतु प्राक्कलन बनाकर स्वीकृती हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी परिवादी की शिकायत के समाधान हेतु प्रयासरत है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि प्राक्कलन स्वीकृत होते ही परिवादी की लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/04/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 202/2024

Shri. Kedar Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 11.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है। परिवादी ने अवगत कराया है कि वह ग्राम–रावना के खेड़ा, दुगियारा में निवास करता है।

वादी की मूल शिकायत है कि उन्हें बिना विद्युत संयोजन प्रदान किये विद्युत बिलप्रेषित किये जा रहे है, जब से विद्युत मीटर लगा है, तब से उस जगह पर लाईट नहीं आयी है क्योंकि वहा पर जो ट्रासफार्मर लगाया गया वह खराब था, और उसके बाद दिनांक 27.08.2018 से पूर्व उनके द्वारा विद्युत मीटर विद्युत विभाग में जमा करा दिया गया था, बावजूद इसके विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को समस्या का समाधान करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN26323084695 का स्थायी विच्छेदन कर दिया गया है, जिसका अन्तिम बीजक रूपये 13203.00 का बनाया गया है, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से मंच सहमत है। अतः इसके फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/04/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 11/04/25
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 203/2024

Shri. Jagat Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 11.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा दिनांक 13.05.2024 को अस्थाई संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, जिसका पंजीकरण शुल्क रू0 1000.00 भी उनके द्वारा जमा किया गया है, किन्तु आज तिथि तक भी उनके परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को अस्थाई विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा 01 कि0वा0 के नये अस्थायी विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया, जिसका पंजीकरण संख्या 448140524002 है, जिसका भार स्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा मॉग पत्र की कुल धनराशि रू0 36691.00 का भुगतान नहीं किया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के अस्थायी विद्युत संयोजन के क्रम में उन्हें मांग पत्र जारी किया गया है, जो कि परिवादी के स्तर पर भुगतान हेतु लंबित है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी को अस्थाई विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने हेतु विपक्षी की ओर से किसी प्रकार की असुविधा नहीं की जा रही है । अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/04/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

परिवाद सं0 206 / 2024

श्री राजीव ढौंडियाल
निवासी– 19, डंगवाल मार्ग
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

दिनांक: 08.04.2025

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उनका मकान 56 बिन्दालवाला में है, जब 6 जनवरी को उनके बिजली मीटर की रीडिंग ली गई वह सामान्य से बहुत अधिक आयी। इस संबंध में परेड ग्राउंड आफिस तथा ई0सी0 रोड़ हेड ऑफिस को अवगत करवाया गया, उन्होने मीटर की एम0आ0आई0 करवाई लेकिन समस्या का कोई हल नही निकला। महोदय मै 06 जनवरी से ही बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ लेकिन विभाग ने मेरी समस्या का उचित समाधान नही निकाला। मै एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ तथा इस अतिरिक्त भार को वहन करने में असमर्थ हूँ। कृपया इस समस्या के निवारण के लिए उचित कार्यवाही करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 148, दिनांकित 07/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री राजीव ढौडियाल, निवासी– 19, डंगवाल रोड़, देहरादून संयोजन सं0 ब्व11267006618 के मापक की एम0आर0आई0 करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक सं0 42 दिनांक 04.02.2025 के माध्यम से सहायक अभियन्ता मापक से उक्त मापक की एम0आर0आई0 करने हेतु अनुरोध किया गया परंतु उनके द्वारा पत्रांक 246 दिनांक 07.02.2025 के माध्यम से मापक पुराना (TTL) होने के कारण एम0आर0आई0 करना सम्भव नही होना बताया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 07/12/2024 से 31/01/2025 तक 3892 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में 55 दिनों में (07/12/2024 से 31/01/2025 तक) पुराने विद्युत मापक की दर्शायी गयी (73895–70003 = 3892 यूनिट) के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के अनुसार प्रतिदिन (3892/55 = 70.76 यूनिट) अर्थात् 71 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 07/04/2025 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व की तीन बिल चक्रों (12/2024,

11/2024 एवं 10/2024) की औसत खपत क्रमशः (240+453+477/3=390 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 07/04/2025 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व की तीन बिल चक्रों (12/2024, 11/2024 एवं 10/2024) की औसत खपत क्रमशः (240+453+477/3=390 यूनिट) के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

08/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 209 / 2024

श्री एस0एंस0 रावत
निवासी– 05, उत्सव विहार, कांवली रोड़
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 09.04.2025
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding billing under IDF category continuously for 8 months.

The Complainant submits and praysas under:-

This has refrence to the subject cited above and to bring to your kind notice that the electric meter of my domestic connection No SD16135108308 developed some technical snag and thereafter, was not recoding the readings properly. It was very well in the notice of UPCL as the meter reader informed me that he had timely informed the department after noticing the fault. Despite knowing the fact, UPCL did not care to replace the faulty meter and kept issuing monthly

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

bills on IDF basis continuously for 8 months at a stretch, charging me the huge bills and I was regularly paying them. The U/S reminded UPCL authorities for changing the meter many a times, but they did not pay any heed to it. After 8 months they changed it with a second hand meter and then suddenly issued a huge bill to me. You are requested to kindly direct UPCL to adjust the extra payments made by me over past 8 months and accordingly issue me a fresh bill.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1656, दिनांकित 10/03/2025 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री ए0एस0 रावत, निवासी– 5 उत्सव विहार, कांवली रोड़, देहरादून द्वारा शिकायत की गयी कि उनके संयोजन पर स्थापित मीटर द्वारा रीडिंग properly नहीं की जा रही थी। उन्हें 08 माह तक आई0डी0एफ0 के बिल निर्गत किये गये। मीटर बदलने के पश्चात् उन्हें एकाएक अधिक धनराशि का बिल दिया गया। उन्होंने 08 माह में उनके द्वारा की गई extra payment को adjust करने को कहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का खराब मीटर विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादून द्वारा दि0 18.11.2024 को बदला गया, एवं दिनांक 05.01.2025 को मीटर कम्प्यूटर बिलिंग सिस्टम में चढ़ाया गया जिसके बाद दिनांक 16.01.2025 को बिल ठीक कर दिया गया। सुलभ संदर्भ हेतु बिल की प्रति संलग्न है। उपभोक्ता का मीटर खराब होने के दौरान आई0डी0एफ0 के बिल निर्गत किये है।

उक्त के संबंघ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 44, दिनांकित 05.04.2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.03.2025 को उपरोक्त वाद की सुनवाई में उपभोक्ता के कथन एवं मा0 मंच के आदेश की उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर लगा कर उसे 15 दिनों में फाईनल कर आख्या दी जाये, के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 1679/वि0वि0उ0ख0व0वि0/एम दिनांक 11.03.2025 से सहायक अभियन्ता (मीटर) को उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर लगाकर अगली सुनवाई दिनांक 07.04.2025 से पूर्व फाईनल करने का अनुरोध किया गया था, जिसके उत्तर में सहायक अभियन्ता (मीटर) के कार्यालय द्वारा वाट्सऐप के माध्यम से चैक मीटर फाईनल कर सीलिंग भेजी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। चैक मीटर सीलिंग के अनुसार मीटर का तेज चलना नहीं पाया गया है। प्रकरण में इस कार्यालय के पूर्व पत्र सं0 1656/वि0वि0ए0ख0व0वि0/उ0शि0नि0मं0 दिनांक 10.03.2025 से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का खराब मीटर विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादून द्वारा दिनांक 18.11.2024 को बदला गया, एवं दिनांक 05.01.2025 को मीटर कम्प्यूटर बिलिंग सिस्टम में चढाया गया। जिसके बाद दिनांक 16.01.2025 को बिल ठीक कर दिया गया। उपभोक्ता का मीटर खराब होने के दौरान आई0डी0एफ0 के बिल निर्गत किये हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की दिनांक 30.11.2023 को NR के आधार पर बिल प्रेषित किया गया इसके पश्चात् दिनांक 20.12.2023 से 16.01.2025 (बिल ठीक किये जाने तक) अर्थात् 10 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 11 बिल चक्रो में औसत (एन0आर/आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New**

Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 30.11.2023 से दिनांक 16.01.2025 अर्थात् 11 विद्युत बिल चकों में प्राप्त एन0आर0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 09 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0[illegible]-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 30.11.2023 से दिनांक 16.01.2025 अर्थात् 11 विद्युत बिल चक्रों में प्रेषित एन0आर0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 09 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।**

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.

परिवाद सं0 210 / 2024

मैसर्स इनडस् टावर लिमिटेड,
निवासी– एकता एन्क्लेव, नेहरू ग्राम,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

दिनांक: 24.04..2025

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

That we have permanent connection having account no- 40116943605, 25KW connected load in the name of Indus Tower limited at location Ekta Enclave , Nehru Gram under Dehradun Rural Division. It is to submit that we received a bill of Rs 627,181.00 for Indus Tower connection at Ekta Enclave , Nehru Gram with Account No 40116943605 for Feb 2025 with last month arrear of Rs. 572,792.00 while payment of last month has been made in total. On query by our local representative, it came to notice that an assessment of Rs 572792.00 as per check meter report ha

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण ...
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

been charged. It is to submit here that check meter has been installed without following the proper procedure as per supply code without any intimation to consumer and main meter was also removed without any intimation and in absence of consumer, and meter test report has been made in absence of consumer and assessment has been charged in bill without giving any notice to consumer. All this has been done in violation of procedure laid in Supply Code. Our meter was running in ok condition and assessment charged arbitrarily without following procedure laid in supply code hence needs to be nullified. We approached subdivision office for correction and to quash unjustified recovery but have not received any response. It is therefore requested to register our grievance and provide us justice. It is further requested to kindly give necessary instruction to the concerned division not to disconnect the supply until instruction form the forum. We are paying current amount of the bill regularly.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1626, दिनांकित 10/03/2025 से मंच को अवगत कराया है कि संयोजन संख्या 970K000018750 खाता संख्या 40116943605 (कंज्यूमर हिस्ट्री की प्रतिलिपि संलग्न) पर सहायक अभियन्ता (मी0) के पत्रांक 22/वि0प0शा0 आराधर/दे0दून दिनांक 17.01.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार दिनांक 30.12.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया एवं दिनांक 15.01.2025 को चैक मीटर फाइनल करने पर मेन मीटर चैक मीटर के सापेक्ष 48.19 प्रतिशत धीमा पाया गया तथा टेम्पर डाटा का अध्यन करने पर टेम्पर की दिनांक 16.10.2023 निर्धारित हुई। उक्त के आधार पर दिनांक 16.10.2023 से दिनांक 15.01.2025 तक बीजक का निर्धारण 48.91 प्रतिशत धीमा के अनुसाररू0 572792/– कर दिनांक 01.02.2025 को

संयोजन संख्या 970K000018750 के कंज्यूमर लेजर में जोड़ दिया गया जो माह जनवरी, 2025 के विद्युत बीजक में प्रदर्शित हुआ है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र दिनांकित 21.02.2025 से स्पष्ट है कि उनको विवादित इंडस टॉवर कनेक्शन खाता संख्या 40116943605 के फरवरी 2025 का बिल रू0 627,181.00 का प्राप्त हुआ है, जिसमे पिछले महीने का बकाया 5,72,792.00 रूपये दर्शाया गया है, जबकि परिवादी के अनुसार उनके द्वारा पिछले महीने का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में जब उनके स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा पूछताछ की गई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग द्वारा चेक मीटर रिपोर्ट के अनुसार रू0 572792.00 का मूल्यांकन चार्ज किया गया है। परिवादी का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा चैक मीटर स्थापित किये जाने में तय प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है। उनका मीटर ठीक स्थिति में चल रहा था और आपूर्ति संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से मूल्यांकन चार्ज किया गया, जिसे रदद् करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा चैक मीटर स्थापित किये जाने में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम 5.1.3 (5) के प्रथम परन्तुक "Provided that where the licensee is installing a test/check meter along with the meter under test for verification of energy consumption in such case the Licensee

shall be required to provide a copy of the valid test report of such test/check meter to the consumer before initiating the testing"

प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को चेक मीटर की एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रमाण पत्र चैक मीटर स्थापित किये जाने से पूर्व परिवादी को हस्तगत नही कराया गया है। इसलिये परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक को 48.19 प्रतिशत धीमा घोषित करने वाले चैक मीटर के परिणाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। परिवादी द्वारा अपनी शिकातयत में इस बात पर भी बल दिया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा न तो चैक मीटर लगाये जाने के दौरान एवं न ही चैक मीटर फाईनल किये जाने के दौरान सीलिंग प्रमाण पत्रों में उनके एवं उनके प्रतिनिधी के हस्ताक्षर कराये गये है।

UERC के विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम 2020 के विनियम *5.1.3(11)* के अनुसार *"Wherever the testing of meter is being done, signature of the consumer, or his authorized representative , if present, would be obtained on the Test Report and a copy thereof shall be supplied to the consumer."* उपरोक्त से परिवादी के मामले में नियमों का बल है।

मंच द्वारा **माननीय अैम्बडसमैन (विद्युत)**, 80, वसन्त विहार, फेस–1, देहरादून के वाद संख्या 43/2022 एवं वाद संख्या 03/2023 में पारित आदेशों का अवलोक किया गया , जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरणों में भी विपक्षी द्वारा परिवादियों के विद्युत मापकों को माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनिय 5.1.3 (5) के अनुसार सत्यता स्थापित नहीं कि गई है, जिस

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480C
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

कारण माननीय अैम्बडसमैन (विद्युत), 80, वसन्त विहार, फेस–1, देहरादून द्वारा उक्त निरधारणों को समाप्त कर दिया गया है।

अतः इन परिस्थितियों में विपक्षी द्वारा चैक मीटर व मेन मीटर में पाए गये अंतर के आधार पर वादी के बिल में समायोजित रू0 5,72,792.00 के निरधारण को समाप्त किया जाना तर्कसंगत एंव न्यायाचित होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त विपक्षी द्वारा परिवादी पर आरोपित निरधारण रू0 5,72,792.00 समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/04/2025   24/4/25.   24.04.

(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 211/2024

श्री सुनील कैन्तुरा
निवासी– शंकरपुर,सहसपुर
विकासनगर।

पत्राचार पता– 14/2 मित्रलोक कालोनी
बल्लुपुर रोड़, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

दिनांक: 24.04.2024

कोरम

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि विद्युत कनेक्शन संख्या VN21624150329 भागो देवी, ग्राम– शंकरपुर, विकासनगर देहरादून के नाम से है। महोदय उक्त विद्युत कनेक्शन संख्या भागो देवी, जिनका देहान्त वर्ष 2009 में हो गया था जिसके पश्चात् लगभग 15 वर्षो से बन्द पडे मकान में है, क्योंकि मैं देहरादून में निवास करता हूँ इसलिए उक्त बन्द मकान में बिजली की खपत कुछ नहीं।

1. यह कि दिनांक 11.05.2019 को मीटर आई0डी0एफ0 के चलते बदला गया था। वर्ष 2019 से पूर्व उक्त कनेक्शन का औसत बिल 150 से 200 प्रति बिल के मध्य आता था।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. यह कि 2019 में मीटर बदलने के पश्चात् भी माह जून 2024 तक आई0डी0एफ0 का बिल आता रहा तथा दिनांक 14.08.2024 के बिल में रीडिंग एकदम 5900 दर्शायी गयी और कुल बिल भुगतान रू0 34,388.75 का आया जो कि अनैतिक है।

3. यह कि आई0डी0एफ0 बिल आने के पश्चात् भी मेरे द्वारा बीच–बीच में कमशः भुगतान किया गया। माह अक्टूबर 2023 में 8,193/– रूपये, माह मई 2024 में 4,168/– रूपये, माह जून 2024 में 1,259/– रूपये। उक्त कुल भुगतान 13,620/– रूपये का किया गया।

4. यह कि मेरे द्वारा उक्त सम्बन्ध में मेरी माताजी सोनी देवी (जो कि स्व0 भागो देवी की पुत्री हैं) के नाम से दिनांक 23.10.2024 को उपविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई।

5. यह कि मेरे द्वारा कई बार विभाग के कार्यालय में जाकर निवेदन किया गया परन्तु कोई सुनवाई नहीं की गयी। अतः सम्पूर्ण भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है।

6. यह कि वर्ष 2019 में मीटर बदलने के पश्चात् रीडिंग क्यों नहीं ली गयी तथा 2019 से 2024 तक आई0डी0एफ0 बिल आता रहा व 2024 में अचानक 5900 रीडिंग आती है और 34,388.75 रूपये का बिल आता है।

7. यह कि दिनांक 11.05.2019 को मीटर बदला गया और दिनांक 11.05.2019 से 11.02.2025 तक 70 माह यानि 35 बिल अवधि में औसत 200/– रूपये प्रति बिल भी लगाया जाये तो कुल 7,000/– रूपये पैनल्टी व अन्य खर्च मिलाकर भी 10,000/– रूपये से अधिक बिल नहीं बनता है जबकि मेरे द्वारा इस अवधि में 13,620/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है, उसके उपरान्त भी अधिशासी अभियन्ता (नियत प्राधिकारी) विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, विद्युत वितरण उपखण्ड हबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून के द्वारा मांग नोटिस पत्र सं0 70902250104 दिनांक 09.02.2025 के माध्यम से 21,845/– रूपये का देय जारी कर दिया गया, जो गलत व अनैतिक है।

अतः महोदय से निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मेरी सहायता करने की कृपा करें तथा मेरी मांग राशि शून्य करते हुए उक्त विद्युत कनेक्शन को पुनः जारी करने की कृपा करे।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1788, दिनांकित 05/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि :–

1. संयोजन संख्या VN21624150329 जो कि श्रीमती भागो देवी के नाम पर है, जिसका विद्युत भार 01 किलोवाट है एवं दिनांक 15.10.2006 को निर्गत किया गया।
2. परिवादी का मीटर आई0डी0एफ0 में चल रहा था, जांच करने पर मीटर सही पाया गया, जिसकी रीडिंग 5900 थी।
3. उपखण्ड अधिकारी, हरबर्टपुर द्वारा अगस्त, 2024 में रीडिंग के आधार पर परिवादी का बीजक संशोधित किया गया।
4. परिवादी को प्रेषित बीजक रीडिंग के आधार पर निर्गत किया गया है, जो कि सही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 18.12.2020 से 14.08.2024 (बिल ठीक किये जाने तक) अर्थात् 18 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 18 बिल चक्रो में औसत (आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के विनियम 5.1.7(1) में

त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 18.12.2020 से दिनांक 14.08.2024 अर्थात् 18 विंद्युत बिल चकों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 16 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 18.12.2020 से दिनांक 14.08.2024 अर्थात् 18 विद्युत बिल चकों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 16 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehrad -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/04/2025 24/04/25 24.04.25

(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehrad -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 212 / 2024

श्रीमती मधु चौहान पत्नी श्री अरविन्द सिंह — परिवादी
निवासी– ग्राम– जीवनगढ़, अम्बाडी
विकासनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 25.04.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी ग्राम जीवनगढ़ के रहने वाला है, प्रार्थी का विद्युत संयोजन सं0 VN13111436997 है। प्रार्थी का बिल अधिक आया है जबकि प्रार्थी उस घर में कमी रहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का बिल संशोधित किया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1790, दिनांकित 05 / 04 / 2025 से मंच को निम्न बिन्दुवार से अवगत कराया गया है–:

1. परिवादी का संयेाजन धरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW में 28 दिसम्बर 2022 को निर्गत किया गया था, जिसका संयोजन सं0 VN13111436997 है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 22/09/2024 से 30/11/2024 अर्थात् 70 दिनों मे 2583 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में 70 दिनों में (22/09/2024 से 30/11/2024 तक) दर्शायी गयी 2583 यूनि. (8187–5604) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन (2583/70 = 36.9) 37 यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एम0आर0आई0 का भी मंच द्वारा अवलोकन किया गया उक्त एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार भी परिवादी की उपरोक्त अवधि में उक्त विवादित खपत दर्ज की गई है। 02 किलोवाट स्वीकृत घरेलू श्रेणी के संयोजन पर 37 यूनिट प्रतिदिन की खपत संभव नहीं है। अतः परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्याा 84531048 को तकनीकि रूप से सही नहीं माना जा सकता है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 22/09/2024 से दिनांक 30/11/2024 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (09/2024, 07/2024 एवं 05/2024) की औसत खपत क्रमशः (612+527+481/3=540 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 22/09/2024 से दिनांक 30/11/2024 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (09/2024, 07/2024 एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

05/2024) की औसत खपत क्रमशः (612+527+481/3=540 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 84531048 को अविलंब परिवर्तित कराना सुनिश्चित करें ताकी भविष्य में उक्त मापक की तकनीकि खराबी के कारण पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सकें। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/4/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

25.04.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 213 / 2024

श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी श्री सरनप्रीत सिंह
निवासी– नागल हाईट्स रेजिडेंशियल कालोनी,
तरला नागल नियर ऑर्चर्ड पार्क, पो0ओ0 कुलान
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरमं — दिनांक: 08.04.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainanat registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainanant submits and pray as under:-

I am writing to formally lodge a complaint regarding severely inflated bills for connection number 9711315423463 and account number 42300648767. I have made repeated attempts to resolve this issue with UPCL office, but have been unsuccessful. My consistent billing history for the 12 months prior to September 2024 shows maximum consumption of 400-500 units for peak usage month, resulting in bills ranging from INR 2,000 to INR 2,500. However , I received

the following inexplicably high bills for October 18, 2024 amounting to INR 11,200 and for them month of November 16,2024 amounting to INR 10,478. Despite numerous emails, online complaint registrations, and payment for a meter check, I was complelled to visit the UPCL branch office in person to expedite the process. A meter check finally revealed that the meter was faulty and subsequently replaced on November 22,2024. This replacement occurred more than 30 days after my intial online request and payment for the meter change. Despite the confirmation of a faulty meter, I was still instructed to pay the full amount of the inflated bills. Even after two visits to the UPCL Araghar office, I was informed that despite the acknowledged damage to the meter, I would still be liable for the charges based on his readings. The bill received on December 16,2024, after the new meter was installed, shows a consumption of 154 units, which aligns with my historical consumption patterns and clearly demonstrates the prior meter's malfunction. I am a responsible citizen and have consistently paid my electricity bills on time. I belive I should not be held responsible for charges resulting from a faulty meter. Therefore, I request the complaint Redressal Forum to intervence and grant me a waiver for the excessive charges incurred due to the malfunctioning meter.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 398, दिनांकित 04/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती मनप्रीत कौर, तरला नागल, देहरादून के सम्बन्ध में आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है:–

1. विद्युत संयोजन संख्या 9711315423463 श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी श्री शरणजीत सिंह, तरला नागल सहस्त्रधारा रोड़ विद्युत भार 2 किलावाट घरेलू विद्या में स्वीकृत है।

2. उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 26.07.2023 को अवमुक्त किया गया था अवमुक्त से वर्तमान तक सम्बन्धित उपभोक्ता को मीटर यूनिट के आधार पर बिल प्रेषित किये गये है (बिलिंग हिस्ट्री संलग्न)।
3. सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा दिनांक 19.10.2024 को चैक मीटर लगाने हेतु ऑनलाइन में शिकायत दर्ज करायी गयी है (शिकायत सं0–21910240024) दिनांक 19.10.2024 को ही चैक मीटर हेतु निर्धारित धनराशि भी उपभोक्ता द्वारा जमा करा दी गयी है।
4. सहायक अभियन्ता मीटर विद्युत परीक्षण शाला ग्रामीध, देहरादून आराघर कार्यालय द्वारा दिनांक 22.11.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर को बदल दिया गया है जिसका कारण उनके द्वारा मीटर को जलना दर्शाया गया है एंव पुराने मीटर की अन्तिम रीडिंग 15582 सत्यापित की गयी है (मीटर की फोटो संलग्न)।
5. माह 12/2024 में उपभोक्ता को पुराने मीटर की अन्तिम रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि परिवादी की अक्टूबर 2024 से पूर्व एवं विवादित विद्युत मापक बदले जाने के उपरान्त के विद्युत बिल चक्र में विद्युत खपत लगभग समान थी, परन्तु दिनांक 18/10/2024 से 22/11/2024 (मीटर बदले जाने की तिथि) तक 10146 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में 35 दिनों में (18/10/2024 से 22/11/2024 तक) पुराने विद्युत मापक की दर्शायी गयी 10146 यूनिट (15582–5436) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन (10146/35 = 289.88) 290 यूनिट की विद्युत खपत असंभव है। इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 18/10/2024 से दिनांक 17/12/2024 तक

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व की तीन बिल चक्रों (09/2024, 08/2024 एवं 07/2024) की औसत खपत क्रमशः (439+394+747/3=526.66 यूनिट) अर्थात् 527 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 18/10/2024 से दिनांक 17/12/.2024 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व की तीन बिल चक्रों (09/2024, 08/2024 एवं 07/2024) की औसत खपत क्रमशः (439+394+747/3=526.66 यूनिट) अर्थात् 527 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/04/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

08/04/25.
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 217 / 2024

श्री कमल सिंह चौधरी पुत्र राज सिंह चौधरी — परिवादी
निवासी– बदमावाला, विकासनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 26.04.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि प्रार्थी कमल सिंह चौधरी पुत्र राज सिंह चौधरी जिनका बिल चैक मीटर से पहले 18000/– रूपये आया। प्रार्थी लगभग अपने घर से चार–पॉच साल किराये के कमरे में रहा, कुछ दिन पहले ही प्रार्थी अपने मकान से वापिस घर आया, प्रार्थी के पास एक कमरा व कीचन है, प्रार्थी के पास ना ही टी0वी0 है, फ्रिज व वाशिंग मशीन के अलावा न तो कोई बडी मोटर है। प्रार्थी एक दुकान में कार्य करता है जिसके महीने की आमदनी 8000 रूपये है। प्रार्थी की टॉग में रौड लगी है जिसके कारण प्रार्थी की स्थिति खराब है। प्रार्थी ने 18000/– का बिल कम करने के लिए चैक मीटर लगाया तो बिल और अत्याधिक आ गया जिसमें हमने विभाग को अवगत कराया की विद्युत बिल की कुछ रकम जमा करा रहे है परन्तु विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 10.03.2025 को कनैक्शन काट दिया गया। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के विद्युत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2044, दिनांकित 19/04/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री कमल सिंह चौधरी पुत्र राज सिंह, विकासनगर द्वारा अपने संयोजन संख्या VN23141411009 का बीजक खराब होने की शिकायत मा० फोरम के समक्ष की गयी। उक्त के सम्बन्ध में मा० फोरम को अवगत कराना है कि उपभोक्ता का बीजक रूपये 43884.00 से संशोधित कर रूपये (–) 2751.00 मात्र का बना दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या VN23141411009 का बीजक रूपये 43884.00 से संशोधित कर रूपये (–) 2751.00 मात्र का बना दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की बिल संशोधित संबंधी शिकायत का निवारण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से उपरोक्त संशोधित बिल पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के उपरान्त उक्त वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी दूरभाष के माध्यम अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/04/2025 — 26/04/25 — 26-04-25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 219/2024

श्री महेश चन्द्रा पुत्र स्व0 मन सिंह
निवासी– 67 नदी रिस्पना, ब्लाक–2
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 09.04.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prayas under:-

1. That the complainant is a senior citizen aged about 70 years, and is a consumer of electricity from the distribution licensee, Uttarakhand Power Corporation Ltd. (hereinafter reffered to as the ''Respondent/Oppoiste party'') in accordance with the provisions of the electricity Act, 2003.

2. That the complainant has been regularly paying electricity bills generated by the opposite party till Novemnber 2024, without any default or delay.
3. That by end of October 2024, the complainant was informed by an employee of the opposite party, responsible for meter readings, that the electricity meter was defective and malfunctioning and that it needed to be replaced.
4. That when the complainant came to know about the defect in the meter in the month of October 2024, he tried to resolve the issue by meeting the SDO and Engineers of the Respondent/Opposite party multiples times before logging on line complaint, but no efforts were taken by them to help the complainant and resolve the issue.
5. That on the 14th November 2024, the complainant lodged an online complaint with the opposite party regarding the defective meter under request No. 21411240337. Consequently, the opposite party replaced the defective electricity meter and sealed the newly installed meter. A copy of the service request and repalcemnet confirmation is annexed herewith as Annexure 1.
6. That the cause of the action arose when, in December 2024, the complainant received an electricity bill from the opposite party reflecting an outstanding balance Rs. 34,053/-
7. That upon inquiry,the complainant was informed by the opposite party that the meter was being billed on RDF mode, a fact neither disclosed to the complainant at any point nor brought to his

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

knowlwdge earlier. The complainant had been making electricity bill payments in good faith, unware of this technical issue.

8. That despite raising objections with the opposite party, the bill generated on 12th March 2025 further reflected an increased outstanding amount Rs. 37,909/- which clearly indicates the opposite party's intention to unjustly impose liability on the complainant for its own negligence and errors.
9. That the complainant is left with no other recourse but to approach this Hon'ble forum, as the opposite party has now begun threatening disconnection of electricity due to alleged dues, citing pressure to recover outstanding amounts before the financial year ends in March 2025.
10. That it is crucial to mention that the opposite party never disclosed the defective meter issue since 2021, and has now abruptly started threatening the complainant with disconnection, which is illegal,arbitrary, and oppressive.
11. That the opposite party clearly demonstrate negligence and deficiency in service, and it is unfairly shifting the burden of its own mistakes onto the complainant.
12. That the opposite party has failed to provide a correct,revised electricity bill despite it being its responsibility to ensure accurate billing from 2021 onwards.

13. That the complainant is ready and willing to clear any legitimate outstanding amount, provided that the opposite party issues a properly audited and justified bill.

In the view of facts and circumstances mentioned herein above, the complainant most respectfully prays that this Hon'ble forum may be pleased to grant the following reliefs:

a) Issue an order restraining the opposite party from disconnection the complainant's electricity connection until the final disposal of the present complaint.

b) Direct the opposite party to provide a detailed, justified, and corrected electricity bill reflecting the actual consumption and dues payble, to the satisfaction of the complainant.

c) Award compensation of Rs 50,000/- for mental harassment and public humiliation suffered by the complainant due to the unlawful disconnection threats made by the opposite party, resulting in reputational loss.

d) Award legal costs of Rs 50,000/- to the complainant for expenses incurred in pursuing the present complaint.

e) Direct the opposite party to refund or adjust any excess amount collected from the complainant towards future electricity bills after the correct bill amount is calculated.

f) Direct an independent electricity audit of the opposite party to assess its billing practices and prevent similar unfair treatment of other consumers in the future.

g) Grant any other relief(s) as this Hon'ble Forum deems fit and appropriate in the interest of justice and equity.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 507, दिनांकित 03/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्री महेश चन्द्रा का विद्युत संयोजन सं0 7011421090140 दो किलोवाट विद्युत भार का घरेलू विधा में संयोजित है। उपभोक्ता के विद्युत बिल माह 05/2021 से माह 09/2024 तक आर0डी0एफ0/एन0ए0 आधार पर निर्गत हुए। माह 11/2024 में विद्युत बिल एम0यू0 आधार पर ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधित किया गया। माह 05/2021 से 11/2024 तक रीडिंग (25787 से 45041 तक कुल 19254 यूनिट) का विद्युत बिल रू0 79154.00 का बना, जिसे पुनः सी.सी.बी.आर के माध्यम से संशोधित कर दिया गया। वर्तमान में माह मार्च 2025 तक विद्युत बिल की कुल अवशेष धनराशि रू0 35155.00 थी जिसमें से उपभोक्ता द्वारा 15000.00 आंशिक भुगतान के रूप में दिनांक 22.03.2025 को जमा कर लिये गये है। इस प्रकार माह मार्च 2025 तक उक्त धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् रू0 20155.00 की धनराशि बकाया है। साथ ही अवगत कराना है कि पुराना मीटर दिनांक 23.12.2024 को बदलकर नया मीटर उक्त संयोजन पर स्थापित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 18.05.2021 से 19.07.2024 अर्थात् 21 बिल चक्रों में RDF के आधार पर बिल प्रेषित किये गये इसके पश्चात् दिनांक 20.09.2024 से 31.01.2025 अर्थात् 03 बिल चक्रों में NR/MU के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 24 बिल चक्रो में औसत (एन0आर/आर0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24[illegible]01
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 18.05.2021 से दिनांक 31.01.2025 अर्थात् 24 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0आर0/आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 21 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांकित 18.05.2021 से दिनांक 31.01.2025 अर्थात् 24 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0आर0/आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 21 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/04/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/04/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 221/2024

Shri. Manoj Payal **V/s** **Executive Engineer, EDD, (Raipur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 07.04.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 175 दिनांकित 01.04.2025 पत्रावाली के पेज संख्या 4 से 12 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके जले हुऐ विद्युत मापक को बदले जाने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा उन्हें मा जनवरी का गलत रीडिंग का बिल प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा 1912 पर शिकायत दर्ज कराई गयी। बावजदू इसके शिकायत करने की तिथि तक बिल को संशोधित नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी क उक्त बिल को संशोधित करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 175 दिनांकित 01.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत बीजक में सहायक अभियन्ता (मापक) से प्राप्त आख्या के क्रम में विद्युत बीजक में आवश्यक संशोधन कर उपभोक्ता को दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया है तथा उपभोक्ता सहमत है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध संशोधित गणना शीट से स्पष्ट है, विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एंव परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा प्रस्तुत संशोधित बिल पर अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/04/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

07/04/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
D[redacted]dun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

<u>परिवाद सं0 224 / 2024</u>

श्री मुन्ना लाल शर्मा पुत्र स्व प्यारे लाल शर्मा — परिवादी
निवासी– वार्ड नं0 3 गुरूद्वारा गली (पहाडी गली)
तहसील– विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 26.04.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

<u>निर्णय</u>

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी एक बुजुर्ग, बेसहारा गरीब व्यक्ति है प्रार्थी का एक पुत्र मानसिक रोगी पीड़ित, विकलांग है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के नाम से घरेलू बिजली कनैक्शन एक किलो वाट जिसका एकाउण्ट सं0 40102891610 व कनैक्शन सं0 VN23121028634 है जो प्रार्थी के नाम से अत्याधिक बिल दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी का मकान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रार्थी के बिना गैर मौजूदगी के प्रार्थी का बिजली का कनैक्शन काट दिया गया है। जिसमें प्रार्थी के गैर मौजूदगी में बिना रीडिंग के अत्याधिक बिल आ रहा है, जिसमें प्रार्थी अपने स्थाई पते पर नहीं रहता है और ना ही बिजली का उपयोग करता है बल्कि इधर–उधर भटकने के कारण व गुजर बसर धन के अभाव में किराये के मकान में रहता है जिसमें प्रार्थी का कोर्ट में भूमि / सम्पत्ति वाद भी चल रहा है जिस कारण प्रार्थी अपने गुजर बसर के अभाव में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपना विद्युत बिल जमा करवाने में असमर्थ

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun –248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉबली रं
देहरादून –24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

है, यदि प्रार्थी को इस सम्बन्ध में क्षति/हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। यह की प्रार्थी ने उच्च अधिकारी/ सम्बन्धित अधिकारी को अवगत कराने पर आदेश अनुसार जे0ई0 को अवगत कराया गया तो उन्होने बताया कि इनका मीटर खराब है जबकि प्रार्थी का मीटर घर से बाहर है जिसमें रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल कम आता है जबकि यह बिना रीडिंग के अत्याधिक बिल पर बिल भेजे रहे है जिस कारण प्रार्थी अत्याधिक बिजली का बिल जमा करवाने में असमर्थ है। अतः महादेय जी आपसे प्रार्थान है कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम बिल देकर प्रार्थी का वाद निस्तारण करने की कृपा करे।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2042, दिनांकित 19/05/2025 से म को अवगत कराया है कि :–

उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN23121038634 है, जिसका विद्युत भार– 1.00 कि0वा0 है।

1. उपभोक्ता अपने परिसर पर निवास नहीं करते है। दिनांक 22.03.2024 के बाद उपभोक्ता द्वारा अपने अवशेष विद्युत बीजक का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर , मीटर केबिल उतार लिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की दिनांक 02.05.2023 से 01.03.2025 अर्थात् 12 बिल चक्रों में IDF/NA के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 12 बिल चक्रो में औसत (आई0डी0एफ0/एन0ए0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है, क्योकिं परिवादी के कथनानुसार उक्त परिसर जर्जर स्थिति में है, जिस कारण वह उक्त परिसर पर निवास नहीं करता है, इसके फलस्वरूप उक्त परिसर की विद्युत खपत भी शून्य यूनिट है।

सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा भी मंच को अवगत कराया गया है कि जिस परिसर पर उक्त विद्युत संयोजन से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी वह जर्ज़र स्थिति में है जिस कारण उक्त परिसर पर विद्युत संयोजन जारी नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 11.02.2023 तक शून्य यूनिट के विद्युत बिल प्रेषित किये इसके पश्चात् दिनांक 02.05.2023 से 01.03.2025 अर्थात् 12 बिल चक्रों में IDF/NA के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये जिसमें प्रति बिल चक्र 200 से 854 यूनिट के आधार पर बिल जारी किये गये है, जो कि पूर्णतः गलत है क्योकि परिवादी अपने घर पर निवास नही करते है (जो कि बिलिंग हिस्ट्री से भी स्पष्ट है) इसलिए परिवादी के बिल शून्य यूनिट पर ही बनने चाहिये न की assessed यूनिट के आधार पर।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा

26/04/2025

मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 02.05.2023 से 01.03.2025 अर्थात् 12 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 / एन0ए0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें उक्त दो बिलों को भी पूर्व के तीन बिल चक्रों 02/2023, 12/2022 एवं 10/2022 की वास्तविक औसत खपत (शून्य यूनिट) के अनुसार संशोध्ति किया जाना तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी से सिर्फ दो बिलो की राशि लिया जाना सुनिश्चित करें उक्त दो बिलों को भी पूर्व के तीन बिल चक्रों 02/2023, 12/2022 एवं 10/2022 की वास्तविक औसत खपत (शून्य यूनिट) के अनुसार संशोध्ति किया जाए तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 8 वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/04/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

26/04/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

26-04-25 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य